निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या **26** वर्ष **2017-18**

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय निदेशक, च कत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय निदेशक, च कत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी के माह 09.2013 से 05.2017 के लेखा-अ भलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री संजय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी; श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी तथा श्री प्रमोद कुमार चौधरी, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 14.06.2017 से 17.06.2017 तक अपर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग-I

1). परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री जी.एस. नेगी, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एवं श्री एल.एस. लंगवाल, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 12.09.2013 से 28.09.2013 तक सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2006 से 08/2013 तक के लेखा-अ भलेखों की जांच की गयी थी।

2). (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः कार्यालय निदेशक, च कत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी का भौगो लक अ धकार क्षेत्र सम्पूर्ण गढ़वाल मण्डल है । इकाई के क्रयाकलाप मे मण्डलीय कार्यालय के अधीन जनपदीय च कत्सा धकारियों पर नियन्त्रण, जांच एवं मण्डलीय भ्रमण है ।

(ii) (अ) वगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है

(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आ धक्य (+)	बचत	आ धक्य (+)	बचत
2013—14	0	0	56.88	54.53	6.35	5.84	—	2.35	—	0.51
2014—15	0	0	63.84	62.95	6.35	6.34	—	0.89	—	0.01
2015—16	0	0	67.44	67.44	4.63	4.63	—	—	—	—

2016–17	0	0	81.87	65.89	3.84	3.72	–	15.98	–	0.12
2017–18 (04/2017 से 05/2017 तक)	0	0	29.63	21.43	–	–	–	8.20	–	–

(ब) Autonomous Bodies की इकाइयों के वगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

वर्ष प्रारम्भिक शेष वर्ष के दौरान प्राप्तिया (क) केंद्रान्श (ख) राजयांश (ग) अन्य प्राप्तिया व्यय अंतिम शेष	लागू नही	लागू नही	लागू नही

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

(` में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अ धक्य(+)/ बचत(-)	ब्याज
2013-14	--	--	--	--	--	--
2014-15	--	--	--	--	--	--
2015-16	--	--	--	--	--	--
2016-17	--	--	--	--	--	--
2017-18	--	--	--	--	--	--

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई 'स' श्रेणी की है।

वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

1). प्रमुख स चव, च कत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखंड, देहरादून

2). महानिदेशक- च कत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखंड, देहरादून
3). निदेशक- च कत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखंड, नैनीताल
4). मुख्य च कत्सा अ धकारी 5). उप मुख्य च कत्सा अ धकारी
6). वरिष्ठ प्रशासनिक अ धकारी 7). प्रशासनिक अ धकारी

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः वर्तमान लेखापरीक्षा, वगत लेखापरीक्षा (09.2013) से 05.2017 तक की अव ध को आच्छादित करते हुए कार्यालय निदेशक, च कत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी के लेखा-अ भलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय निदेशक, च कत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 12.2016 एवं 05.2017 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया प्रतिचयन अ धकतम व्यय के आधार पर कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग- 2(ब)

प्रस्तर-1 :- धनरा श रु 6.47 लाख की प्र विष्टि रोकड़ बही में न कया जाना ।

शासन के पत्रांक सं - 3/ (6)/ 2013, दिनांक 02 जनवरी 2013 के बिंदु संख्या 4.9 में ई-पेमेंट प्रणाली में दिए गये दिशा-निर्देशों के अनुसार 'आहरण एवं सं वतरण अ धकारी इन्टरनेट की सहायता से अपने देयकों की धनरा श सम्बं धत के बैंक खातें में अंतरण हो जाने के ववरण का प्रंट प्राप्त करेंगे तथा भुगतान सम्बं धत अ भलेखों - यथा 11 सी पंजिका, कैशबुक, बिल रजिस्टर आदि में इनके प्राप्त होने की प्र विष्टि यथा स्थान पर करेंगे इसके अतिरिक्त, Form BM- 05 में द्वारा सम्बं धत माह में कये गये लेनदेनों के सत्यापन हेतु स्पष्ट रूप से व र्णत है क " ertified that all the drawals shown in the statement are correct except the followings ones (if any) which have not been made by me" and "Besides the above the following are also the drawals (if any) by me during the month which have not been shown in the statement."

साथ ही, कार्यालयों में रोकड़-बही के समु चत रख-रखाव के संबंध मे स्पष्ट नियम है क All monetary transactions should be entered in the cash book as soon as they occur and be attested by the DDO in token of such check" (Rule 13(ii)of CGA (R&P) Rules – Maintenance Cash Book).

कार्यालय निदेशक, च कत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी की कैशबुक की नमूना जाँच में पाया गया क माह 12/2016 में कुल रू 5.41 लाख की सकल धनरा श के ववरण अंतरण को कैशबुक में नहीं दर्शाया गया था ववरण निम्नवत है :-

(रु में)

ववरण		
दिनांक	वाउचर नं0	सकल धनरा श (Rs)
23.12.2016	A22100045	61549
23.12.2016	A22100046	42305
30.12.2016	A22100088	284324
30.12.2016	A22100089	58225
30.12.2016	A22100090	32868
30.12.2016	A22100091	61549
	योग =	**5,40,820/-**

आगे, कार्यालय निदेशक, च कत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी की रोकड़बही एवं अन्य लेखा-अ भलेखों की अव ध 09.2013 से 05.2017 के दौरान नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया क सूचना के अ धकार अ धनियम 2005 एवं अन्य प्राप्तियों के रूप में कुल रू 1.06 लाख की धनरा श को रोकड़-बही में नहीं दर्शाया गया था, जिसको रोकड़-बही के प्राप्ति पक्ष में दर्शाया जाना चाहिए था । ववरण निम्नवत है :-

(रु में)

अव ध	धनरा श (रु)
09.2013 to 03.2014	105080
04.2014 to 03.2015	140
04.2015 to 03.2016	160
04.2016 to 03.2017	140
04.2017 to 05.2017	0
योग =	**1,05,520/-**

व्यय धनरा श रु 5.41 लाख की प्र वष्टि रोकड़ बही न कये जाने के प्रकरण को लेखापरीक्षा में इं गत कये जाने पर निदेशक ने लेखापरीक्षा आप त को स्वीकार करते हुए कहा क वर्तमान में नियमानुसार कार्य कया जा रहा है उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यों क शासन के पत्रांक सं - 3/ (6)/ 2013, दिनांक 02 जनवरी 2013 के दिशा-निर्देश का उलंघन कया गया था । *आगे*, व वध प्राप्तियों की धनरा श रु 1.06 लाख की प्र वष्टि रोकड़-बही न कये जाने के प्रकरण को लेखापरीक्षा में इं गत कये जाने पर निदेशक ने लेखापरीक्षा आप त को स्वीकार करते हुए कहा क उक्त धनरा श राजकीय कोष में जमा की गयी है एवं भ वष्य के लए नोट कया उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यों क व वध प्राप्तियों की धनरा श को रोकड़-बही मे दर्शाया जाना अनिवार्य था ।

अत: धनरा श रु 6.47 लाख की प्र वष्टि रोकड़-बही न कये जाने का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग- 2(ब)</u>

<u>प्रस्तर- **2**</u>**:-** व वध प्राप्तियों की धनरा श रु **1.06** लाख की प्र वष्टि रोकड़ बही में न कया जाना ।

कार्यालयों में रोकड़-बही के समु चत रख-रखाव के संबंध मे स्पष्ट नियम है क All monetary transactions should be entered in the cash book as soon as they occur and be attested by the DDO in token of such check.” (Rule 13(ii)of CGA (R&P) Rules – Maintenance Cash Book).

कार्यालय निदेशक, च कत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी की रोकड़बही एवं अन्य लेखा-अ भलेखों की अव ध 09.2013 से 05.2017 के दौरान नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया क सूचना के अ धकार अ धनियम 2005 एवं अन्य प्राप्तियों के रूप में कुल रू 1.06 लाख की धनरा श को रोकड़-बही में नहीं दर्शाया गया था जिसको रोकड़-बही के प्राप्ति पक्ष में दर्शाया जाना चाहिए था । ववरण निम्नवत है :-

(रु में)

अव ध	धनरा श (रु)
09.2013 to 03.2014	105080
04.2014 to 03.2015	140
04.2015 to 03.2016	160
04.2016 to 03.2017	140
04.2017 to 05.2017	0
योग =	**1,05,520/-**

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इं गत कये जाने पर निदेशक ने लेखापरीक्षा आप त्त को स्वीकार करते हुए कहा क उक्त धनरा श राजकीय कोष में जमा की गयी है एवं भ वष्य के लए नोट कया उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यो क व वध प्राप्तियों की धनरा श को रोकड़-बही मे दर्शाया जाना अनिवार्य था ।

अतः व वध प्राप्तियों की धनरा श रु 1.06 लाख की प्र वष्टि रोकड़-बही न कये जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तर-</u> **1:-** धनरा श रु **5.83** लाख का अनिय मत भुगतान कया जाना ।
कार्यालय महानिदेशक, च कत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या- 2प/ रा0पु0/ 23/ 2014/ 12665 देहरादून दिनांक- 10 जून 2016 द्वारा पठित शासनादेश संख्या- 684/ -3-2016-76/ 2015 दिनांक 03.06.2016 में व र्णत है क च कत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण वभाग में नियुक्त ऐसे का र्मक जो अपने मूल तैनाती स्थान से अन्यत्र सम्बद्ध कये गए हैं, का सम्बद्धीकरण तत्काल रूप से समाप्त की जाए

कार्यालय निदेशक, च कत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी के लेखा- अ भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया क श्री गौरव संह, वरिष्ठ औष ध निरीक्षक मूल तैनाती स्थान कार्यालय निदेशक, च कत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी था, जब क उन्हें कार्यालय महानिदेशक, च कत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून में सम्बद्ध कया गया था एवं उनके वेतन एवं भत्ते कार्यालय निदेशक, च कत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी से अनिय मत रूप से आहरित कये जा रहे थे

उपरोक्त शासनादेश संख्या- 684/ -3-2016-76/ 2015 दिनांक 03.06.2016 के अनुसार श्री गौरव संह, वरिष्ठ औष ध निरीक्षक को उनकी वर्तमान तैनाती कार्यालय महानिदेशक, च कत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून से उनके मूल तैनाती स्थान कार्यालय निदेशक, च कत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी में वापस लए जाने के बजाय जुलाई 2016 से मई 2017 तक निम्न ल खत ववरण के अनुसार कुल धनरा श रु 5.83 लाख का भुगतान बोनस, वेतन एवं भत्ते के रूप में कार्यालय निदेशक, च कत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी द्वारा कया जा चुका था :-

<u>ववरण</u> :

माह	सकल भुगतान (रु में)	अभ्युक्ति
07.2016	61549	वेतन एवं भत्ते
08.2016	61549	वेतन एवं भत्ते
09.2016	61549	वेतन एवं भत्ते
10.2016	61549	वेतन एवं भत्ते
11.2016	61549	वेतन एवं भत्ते
12.2016	61549	वेतन एवं भत्ते
01.2017	73470	वेतन एवं भत्ते
02.2017	73470	वेतन एवं भत्ते
03.2017	66840	वेतन एवं भत्ते
04.2017	0	Pending

05.2017	0	pending
योग =	5,83,074/-	

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इंगत कये जाने पर निदेशक ने लेखापरीक्षा आपत्त को स्वीकार करते हुए कहा क महानिदेशालय के आदेशानुसार अनुपालन कया गया है । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योक शासनादेश संख्या- 684/ -3-2016-76/ 2015 दिनांक 03.06.2016 का उलंघन कया गया था ।

अतः धनराश रु 5.83 लाख का अनियमत भुगतान कये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

<u>भाग-III</u>

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-**II** 'अ' प्रस्तर क्रम संख्या	भाग-**II** 'ब' प्रस्तर क्रम संख्या	**STAN**	**TAN** प्रस्तर क्रम संख्या
06.1998 to 03.2006	**NIL**	1	NIL	NIL
SS/ AIR- 94/ 2013- 14	**NIL**	NIL	NIL	3

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
06.1998 to 03.2006	भाग- 2'ब' प्रस्तर क्र. सं- 1	अप्रस्तुत	यथावत रखा जाता है	--
SS/ AIR- 94/ 2013- 14	TAN प्रस्तर क्र. सं - 3	अप्रस्तुत	यथावत रखा जाता है	--

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.... शून्य ....

<u>भाग-**V**</u>

आभार

1). कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु निदेशक, च कत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः-
अप्रस्तुत अ भलेखः शून्य

2). सतत् अनिय मतताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया :

नाम	पदनाम	अव ध
डॉ0 एस. डी. उनियाल	निदेशक	08.09.2012 से 31.08.2016
डॉ0 आर. पी. बडोनी	निदेशक (प्रभारी)	31.08.2016 से 29.12.2016
डॉ0 अनिल कुमार	निदेशक (प्रभारी)	29.12.2016 से 30.01.2017
डॉ0 देवेन्द्र प्रताप दुर्गापाल	निदेशक	30.01.2017 से अब तक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति निदेशक, च कत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी को इस आशय से प्रे षत कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, सी- 1/105, वैभव पैलेश, इंदिरा नगर, देहरादून, 248006 को प्रे षत कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी,
सामाजिक क्षेत्र